योजना विधि की विशेषताएँ :-

इसकी अधोलिखित विशेषतायें हैं —

① - छात्रों को मौलिक चिन्तन, क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर मिलता है।

② - छात्रों को नवीन ज्ञान जीवन से सम्बन्धित करके दिया जाता है।

③ - छात्रों में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है।

④ - मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित है।

⑤ - विद्यालय के सभी विषयों को समन्वित रूप में पढ़ाया जाता है। इससे बोधगम्यता अधिक होता है।

⑥ - छात्र में ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का विकास होता है।

सीमाएँ :-

इसकी सीमायें निम्न प्रकार हैं —

① - विषयों को क्रमबद्ध रूप में नहीं दिया जाता है।

② - योजनाओं को वास्तविक रूप देने के लिये अधिक व्यय करना होता है।

③ - सभी विषयों तथा विषय की समस्त पाठ्य-वस्तु के लिये योजना विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती है।

④ - सभी सामाजिक सामाजिक गुणों का विकास नहीं किया जा सकता है। अधिगम के सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

⑤ - उच्च कक्षाओं में इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

⑥ विषयों का ज्ञान क्रमबद्ध रूप में नहीं दिया जा सकता है।

सुझाव :- इसके प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिये —

① कृषि विद्यालयों में इसका प्रयोग करना चाहिये।

② तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोग करना चाहिये।

③ योजना की समस्या मितव्ययी होनी चाहिये।

④ इसको एक सहायक शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग करना चाहिये।

प्राचार्य

वाद - विवाद विधि

आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है, वरन् उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाये रखने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाये रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण - विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक वाद - विवाद विधि है। यह शिक्षण की वह विधि है जिससे शिक्षक और छात्र मिल - जुलकर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान - प्रदान करते हैं।

शिक्षाशास्त्रियों ने इसकी निम्नलिखित परिभाषायें दी हैं :-

① जेम्स एम० ली के अनुसार :- "वाद - विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

② - रिस्क के अनुसार :- "वाद - विवाद का अर्थ है - अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित सम्बन्धों का विचारशील विवेचना।"

③ . सिम्पसन के अनुसार :- "वाद - विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान - प्रदान होता है। वाद - विवाद में महत्वपूर्ण विचारों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।"

प्राचार्य
हीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान

वाद-विवाद का रूप :-

वाद-विवाद औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकता है। औपचारिक वाद-विवाद में प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है। इसमें निश्चित नियमों के अनुसार कार्य होता है, ऐसे वाद-विवाद के लिए कक्षा में छात्र स्वयं में से, सभापति, मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी चुनते हैं छात्रगण इनके निर्देशन में समस्त कार्यों को निर्धारित नियमों के अनुसार करते हैं।

वाद-विवाद विधि का स्वरूप :-

वाद-विवाद के लिए छात्रगण स्वयं या शिक्षक समस्या प्रस्तुत कर सकता है। समस्या के प्रस्तुत होने के उपरान्त शिक्षक उद्देश्य पर प्रकाश डालेगा, तथा उससे सम्बन्धित सामग्री के स्रोतों से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन करेंगे, वे इस प्रकार समस्या के किसी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेंगे। छात्रों के विभिन्न समूह-सदस्य सम्बन्धित सामग्री, आँकड़े एवं सूचनाओं को एकत्रित एवं आत्मसात करके निश्चित तिथि पर वाद-विवाद का कार्य आरम्भ करेंगे। निर्वाचित नेता या शिक्षक द्वारा वाद-विवाद का कार्य प्रारम्भ करेंगे। उसके निर्देशों के अनुसार वाद-विवाद का कार्य चलेगा, शिक्षक का कार्य छात्रों के सन्देह दूर करना होगा। छात्रों से विचार-विमर्श के पश्चात निर्वाचित नेता विषय से सम्बन्धित अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

वाद-विवाद विधि के गुण :-

① - इसके द्वारा छात्रों में सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास

② - यह छात्रों को सहयोगी रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय

③ - इसके द्वारा छात्रों में किसी वस्तु के सम्बन्ध में चिन्तन करने की शक्ति का विकास किया जाता है।

④ - इसके प्रयोग से छात्र अपने भावों ~~और~~ एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं।

⑤ - यह छात्रों में स्वतन्त्र अध्ययन करने की आदत का विकास करती है।

⑥ - इसके द्वारा छात्र सामूहिक रूप से निर्णय करना सीख जाते हैं।

⑦ - यह छात्रों को विषय - सामग्री का चयन एवं संगठन करना सिखाती हैं।

दोष:-

① इस पद्धति के विपक्ष में यह कहा जाता है कि इसके द्वारा छात्र निरर्थक वाद - विवाद में पड़कर समय नष्ट करते हैं।

② वाद - विवाद में कक्षा के कुछ ही छात्र प्रमुख रूप से क्रियाशील रहकर अन्य छात्रों को अवसर प्राप्त नहीं करने देते हैं।

③ इससे शर्मीले तथा मन्द बुद्धि बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं।

④ इसका समुचित संचालन उच्च कक्षाओं में सम्भव हैं।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशि... संस्थान
...

सुझाव :-

① - समस्या का चयन सहयोगी रूप से किया जाए।

② - समस्या शैक्षिक महत्त्व की हो। साथ ही कक्षा के लिए अर्थपूर्ण या उपयोगी हो।

③ - सभी छात्रों को वाद-विवाद में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं।

④ - विचारों की अभिव्यक्ति एवं उनके संगठन में छात्रों को सहायता प्रदान की जाय।

⑤ - स्मृति की अपेक्षा तर्कों तथा निर्णयों पर बल दिया जाय।

⑥ - छात्रों को निष्कर्षों एवं स्वतन्त्र ~~[illegible]~~ निर्णयों तथा निर्माण में सहायता प्रदान की जाय।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया
24/09/2020